तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 185/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण, पता 79, हनुवंत बी सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.05.2022 में (1) प्रार्थी द्वारा फरवरी 2022 को उप तहसील झंवर के कर्मचारियों के विरूद्ध विस्तृत शिकायत जिला कलक्टर जोधपुर व अन्य को पेश की थी जो जांच हेतु ए.डी.एम. (एल आर) के पास आई थी जो उपरोक्त शिकायत आप द्वारा पत्र क्रमांक 2363 दिनांक 23.02.2022 को जांच हेतु एस.डी.एम. लूणी को मेरे प्रार्थना पत्र के साथ भेजी उस पर आज तक हुई सम्पूर्ण कार्यवाही की सूचना, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 851 दिनांक 27.06.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 690 दिनांक 27.05.22 द्वारा कुल 01 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को 01 पृष्ठीय सूचना उपलब्ध करवाई गई अतः अपीलार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	